न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2018 (उदयपुर डिकी)

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह जी राठौड़, निवासी बेमला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल निवासी मकान नंबर 37, नाकोड़ा नगर, 11 धाऊजी की बाड़ी, बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह जी देवड़ा, निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सज्जनसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी आलमोनिया का वाडा, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरिसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी आलमोनिया का वाडा, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गंगा पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी आलमोनिया का वाडा, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 18.07.2016, प्र.सं. 23/14

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 2, 4

4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 5

5. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.

———:::———

निर्णय दिनांक

13—03—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 3886, 3887 एवं 3911 ग्राम देबारी में स्थित ह। आराजी नंबर 3886 व 3887 में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा आराजी नंबर 3911 में वादी का 818/3700 वां हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं। अतएवं उक्त भूमियों का विभाजन करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4) की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 3886, 3887 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का 1/3, 1/3 हिस्सा था, जिसे उनके द्वारा दिनांक 30—12—2013 को प्रतिवादी संख्या 6 को विकय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है एवं आराजी नंबर 3911 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी शेष हिस्सा होकर इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा भूमियों का विभाजन पूर्व में किया जा चुका है।

दौराने कार्यवाही अपीलान्ट सुरेन्द्रसिंह के आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के आवेदन पर उसे प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में संस्थित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 3886 व 3887 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का 1/3, 1/3 हिस्सा था, जिसे दिनांक

30–12–2013 को उसके द्वारा कुलिया उनका 2/3 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर वह काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 5 नगर विकास प्रन्यास की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 16–09–2015 को इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया कि मौजा देबारी की आराजी नंबर 3886, 3887 में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 2/3 हिस्सा तथा आराजी नंबर 3911 में वादी का 818/3700 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का रखते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिर्वा द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 18–07–2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवारा सूची अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनायी गयी है तथा अंतिम डिक्री भी अपीलान्ट की उपस्थिति में पारित नहीं की गयी है। दिनांक 13–05–2018 को अपीलान्ट जब पटवारी हल्का से मिला तो उसे कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उपरोक्त दफा 5 के आवेदन के खण्डन का कोई जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु दौराने बहस वकील

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा मयाद के बिन्दु पर आपत्ति उठायी गयी है तथा निम्नानुसार न्यायिक नजीरें भी प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1177
2. आर.आर.डी. 2012 पेज 272
3. आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 855
4. आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 105
5. आर.आर.टी. 2014–15 (Supp.) पेज 429

उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार यह स्पष्ट स्थिति है कि मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण होना चाहिए। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 18–07–2016 को लिखी गयी आदेशिका में उभयपक्षों की उपस्थिति में बंटवाड़ा रिपार्ट पर सहमति अंकित है, तद्नुसार प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 18–07–2016 को ही थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। फिर भी न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अण्डर टेकिंग पेश की गयी, परन्तु बाद में वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि बंटवाड़ा सूची तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गयी है तथा पटवारी द्वारा जो बंटवाड़ा सूची बनायी गयी है उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलान्ट के हिस्से में

उपजाऊ भूमि नहीं रखी जाकर कंकरीली भूमि रखी गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अच्छी भूमि दी गयी है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वहीं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरें भी प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 698
2. आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1157
3. आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व पतिवादी संख्या 6 (अपीलान्ट) उपस्थित थे तथा उनके द्वारा बंटवाड़े की सहमति दी गयी है। अतः अब अपीलान्ट का यह कथन कि उसके बंटवाड़ा सूची पर हस्ताक्षर नहीं हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मौके पर उपस्थित था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय से सहमति से प्राप्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिको पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।